मध्यप्रदेश में मौसम का बदला मिजाज

भोपाल, 30 अक्टूबर. अरब सागर में बने डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे अवदाब और उत्तर भारत के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के संयुक्त प्रभाव से मध्यप्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है. तीनों सिस्टम के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ठंडी हवाएं और कोहरा देखने को मिल रहा है.

गुरुवार सुबह निवाड़ी और टीकमगढ़ में तेज बारिश हुई, जबकि रायसेन में घना कोहरा छाया रहा. बुधवार को भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में हवा की रफ्तार तेज रहने से दिन का तापमान गिर गया. उज्जैन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

12 पूर्वी जिलों में भारी बारिश का

23 डिग्री तक पहुंचा उज्जैन का

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश के 12 जिलों सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, कटनी और पन्ना जिलों में येलो अलर्ट जारी है. शेष जिलों में भी बादल और बूंदाबांदी का दौर बना रहेगा.

भाजपा ने नियुक्त किये संयोजक और सह-संयोजक

भोपाल. एक तरफ जहां प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा शुरू किये गये एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में सहभागिता के साथ ही बेहतर सामंजस्य के लिये भाजपा ने संयोजक और सह-संयोजक की नियुक्ति कर दी है. संयोजक विधायक एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी को बनाया गया है, वहीं चार सह-संयोजक भी नियुक्त किये गये हैं, इनमें प्रदेश मंत्री भाजपा रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री लोकेन्द्र पाराशर, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रदीप त्रिपाठी और प्रदेश संयोजक चुनाव आयोग समन्वय विभाग एसएस उप्पल शामिल हैं.

शुक्ल ने सीएम का आभार व्यक्त किया

रीवा-दिल्लीी एवं रीवा-इंदौर हवाई सेवाओं के शुभारंभ पर दी शुभकामनाएं

भोपाल, 30 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सौजन्य भेंट कर रीवा एयरपोर्ट से प्रारंभ होने वाली रीवा-दिल्ली एवं रीवा-इंदौर हवाई सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सतत प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई दी और कहा कि डॉ. यादव के नेतृत्व में अधोसंरचना, सड़क, एयर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास,

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जिससे प्रदेश के विभिन्न अंचलों को नई गतिशीलता मिल रही है. रीवा-दिल्ली एवं रीवा-इंदौर हवाई सेवाओं से विंध्य क्षेत्र को राजधानी दिल्ली और वाणिज्यिक नगरी इंदौर से सीधा हवाई संपर्क मिलेगा, जिससे औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन विकास को नई दिशा प्राप्त होगी.

माता पिता की हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार

सागर. मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत माता पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बुधवार की रात मे थाना देवरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धुलतरा स्थित टिकरिया तिराहा पर आरोपी शिवराज पिता गणेश सेन द्वारा अपने माता शांतिबाई उम्र52 वर्ष- और पिता गणेश सेन उम्र 55 वर्ष की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना देवरी में अपराध क्रमांक 488/25, धारा 103(1) बीएनएस का पंजीकरण कर तत्काल प्रभाव से जांच प्रारम्भ की गई. पुलिस टीम ने मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.

इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स पर प्रतिबंध की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल,30 अक्टूबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है. गुप्ता ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ये गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स अवैध और खतरनाक चिकित्सकीय प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनसे प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने कहा कि इन कोर्सों से निकलने वाले विद्यार्थी केवल दसवीं या बारहवीं पास हैं, फिर भी निजी डॉक्टरों की तरह इलाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ऐसे सैकड़ों मामले सामने

आए हैं जहां अप्रमाणित लोग मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. गुप्ता ने याद दिलाया कि उन्होंने 26 मार्च 2025 को ही सरकार और राज्यपाल को इन कोर्सों की वैधानिकता को लेकर चेताया था, परंतु छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

गुप्ता के अनुसार विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 1047 के उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह कोर्स न तो मान्यता प्राप्त है और न ही इसके लिए कोई परिषद या कानून बनाया गया है, इसके बावजूद विश्वविद्यालय इन्हें चला रहा है. उन्होंने कहा कि इन झोलाछाप डॉक्टरों के उपचार से कई लोगों की मौत हो चुकी है.

> गुप्ता ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि उसने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत फैकल्टी और अध्ययन केंद्रों के निरीक्षण संबंधी जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय की मिलीभगत को दर्शाता है, जो अवैध रूप से चल रहे क्लीनिकों को संरक्षण दे रहा है. खंडवा जिले के एक मामले का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने बताया कि वहां दो बच्चों की मृत्यु इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार के दौरान हुई, परंतु स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया.

डॉक्टर को बिना दिखाए पिलाया सिरप

6 माह की बच्ची की मौत, मेडिकल स्टोर सील

छिंदवाड़ा,30 अक्टूबर . जिले के बिछुआ में 6 माह की बच्ची रोही मिनोटे की सर्दी-बुखार के बाद हुई संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. बच्ची के परिजनों ने स्थानीय कुरेठे मेडिकल स्टोर से खरीदी गई आयुर्वेदिक कफ सिरप पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है.

बिछुआ निवासी रोही पिता संदीप मिनोटे की तबीयत सोमवार को खराब हुई थी. परिजनों ने डॉक्टर से जांच कराए बिना ही कुरेठे मेडिकल स्टोर से एक आयुर्वेदिक कफ सिरप खरीदकर बच्ची को पिला दिया. सिरप पीने के चार दिन बाद मंगलवार को बच्ची की हालत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई.

> परिजनों ने आरोप लगाया है कि कफ सिरप के कारण ही बच्ची की तबीयत बिगड़ी, और सिविल अस्पताल में भी लापरवाही हुई. बिछुआ टीआई ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मर्ग कायम कर लिया गया है, और वैधानिक कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसने लोगों में दहशत बढ़ा दी है.

जबलपुर में 15 नवंबर को होगा बिरसा मुंडा उत्सव, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन

जबलपुर. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को जबलपुर में भव्य बिरसा मुंडा उत्सव आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा की है. 11 से 15 नवंबर तक प्रदेश के जनजातीय जिलों में बिरसा मुंडा गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें झांकियां, प्रदर्शनियां और जनसम्मेलन होंगे. 7 से 15 नवंबर तक सड़कों, चौराहों और भवनों का नाम जनजातीय नायकों पर रखा जाएगा तथा प्रतिमाएं व स्मारक स्थापित किए जाएंगे. विश्वविद्यालयों में जनजातीय शोध पीठ स्थापित करने की योजना है.

मेडिकल सुपरिटेंडेंट और विभागाध्यक्ष पर नर्स ने लगाए आरोप

ग्वालियर, 30 अक्टूबर. मध्यप्रदेश के ग्वालियर के जयारोग्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक नर्सिंग ऑफिसर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एक विभाग के अध्यक्ष पर नौकरी के ऐवज में अवांछित मांग करने का आरोप लगाया है.

आरोप है कि नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष ने नर्सिंग ऑफिसर से नौकरी के लिए कम्प्रोमाइज करने की बात कही. इसी के साथ ही उसने बुरी नीयत से नर्स का हाथ पकड़ लिया. नर्स ने हाथ छुड़ाया तो उसे जातिगत अपशब्द कहे. घटना मंगलवार को विभागाध्यक्ष के चेंबर की है. पीड़िता ने मामले की शिकायत कंपू थाना में की है.

पुलिस ने नेफ्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. शिवम यादव और सुपरिटेंडेंट गिरजा शंकर गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय पीड़िता ग्वालियर के घाटीगांव सिमरिया टांका इलाके में एक गांव की रहने वाली है.

> पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह नेफ्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. शिवम यादव के चेंबर में अपने आवेदन पर मार्क कराकर रिसीविंग लेने गई थी. इसी दौरान डॉ. यादव ने कहा कि जब तक वह उनकी और डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता की बात नहीं मानेगी, तब तक ऐसे ही परेशान होती रहेगी. पीड़िता का दावा है कि उसे नौकरी करनी के ऐवज में कम्प्रोमाइज करने को कहा गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डॉ. शिवम यादव ने कहा कि तुम डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता को खुश रखो. वो तुम्हारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं.

विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग

भोपाल, 30 अक्टूबर. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिख कर उनसे विधानसभा के आगामी सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है.

सिंघार ने पत्र लिखकर 16वीं विधानसभा के सप्तम सत्र (दिसंबर 2025) की अवधि बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस सत्र की अधिसूचना के अनुसार 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक केवल चार बैठकें प्रस्तावित की गई हैं, जो प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा के लिए अपर्याप्त हैं.

सिंघार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के सामने कई महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन सीमित अवधि में इन विषयों पर व्यापक बहस संभव नहीं होगी. उन्होंने पत्र में आग्रह किया है कि लोकतांत्रिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को जनता के हित से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा का अवसर मिल सके. नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, और जनता की आवाज को वहाँ पूरी गंभीरता से सुना जाना चाहिए. सत्र का विस्तार इसी भावना को सशक्त करेगा. विधानसभा सचिवालय की ओर से कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

शिवपुरी से चोरी नवजात शिशु बीना से बरामद

सागर, 30 अक्टूबर.के शिवपुरी जिले के अस्पताल से एक शिशु को महिला द्वारा चोरी नवजात शिशु को झांसी सागर बस मे सवार महिला से बरामद कर जिला चिकित्सालय सागर मे सुरक्षित रखा गया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बुधवार को सूचना मिली कि शिवपुरी से एक नवजात शिशु चोरी हो गया है . सूचना पर पुलिस ने सक्रियता पूर्वक चेकिंग अभियान तत्काल रूप से प्रारंभ किया गया. शिवपुरी से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्ध महिला का फोटो सभी थाना क्षेत्रों, चौकियों, नाकों एवं गश्ती दलों को तत्काल उपलब्ध कराया गया.संभावित रूटों का विश्लेषण कर लगभग 300 से 400 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी जिले के विभिन्न चेक प्वाइंट्स पर तैनात किए गए, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति बिना चेकिंग पार न हो सके.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना डॉ. संजीव उइके तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम सागर में उप निरीक्षक आर.के.एस. चौहान द्वारा सभी नाका पार्टी, पेट्रोलिंग टीमों एवं गश्ती दलों का केन्द्रीय कमांड एवं मॉनिटरिंग करते हुए,वाट्सऐप ग्रुप एवं वायरलेस माध्यम से लगातार सटीक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए.

पीएमश्री हवाई पर्यटन सेवा के शुभारंभ कल

भोपाल. मप्र के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नई सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक नवंबर को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के फ्लैगऑफ़ के साथ तीनों हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे. हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन 20 नवम्बर से होगा.

इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, भारत के विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहेंगे. पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों के बीच हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जा रही है. लोक-निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत यह सेवा मप्र के पर्यटन को नई उड़ान देगी.

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मप्र देश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टीविटी संचालित करने वाला प्रथम राज्य है. पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रत्येक सेक्टर में सप्ताह में पांच दिन किया जाएगा.

देशभर के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे यात्री होल्डिंग एरिया

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, जबलपुर एवं कोटा स्टेशन भी हुए नामित

भोपाल, 30 अक्टूबर. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर के 76 रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी है. यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर इस सुविधा की सफलता को देखते हुए लिया गया, जहाँ दिवाली और छठ जैसे अवसरों पर यात्रियों की भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था.रेल मंत्री ने बताया कि ये होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिज़ाइन में तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्मित होंगे. योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा अनुभव को बढ़ाना है.

पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत

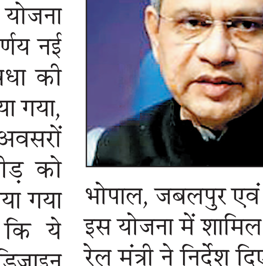

भोपाल, जबलपुर एवं कोटा स्टेशन इस योजना में शामिल किए गए हैं. रेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी होल्डिंग एरिया 2026 के त्यौहारी सीजन से पहले तैयार हो जाएं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल स्टेशन पर इस सुविधा के शुरू होने से प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़भाड़ कम होगी.

6 ट्रेनों पर होगा अस्थायी ठहराव

रेल प्रशासन ने भोपाल मंडल होकर संचालित छह ट्रेनों का अस्थायी ठहराव बड़काकाना के स्थान पर रांची रोड स्टेशन (पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद मंडल) पर अगले तीन माह –31 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक – के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से बड़काकाना स्टेशन पर ट्रेन रिवर्सल की आवश्यकता समाप्त होगी, जिससे परिचालन दक्षता और समयबद्धता में सुधार होगा. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि ट्रेनों की समय-सारणी एवं ठहराव की विस्तृत जानकारी 139/रेलवन, वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम से प्राप्त कर यात्रा का लाभ लें.

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL-HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL-HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL-HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL-HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री दीपक धरसे श्रीमती अनीता बाई दीपक ड्राइवर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10545651)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, पटवारी हल्का संख्या 25, वार्ड संख्या 01, ग्राम नागलवाड़ी, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, म.प्र., 451449, भारत क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 798.00, 700.00, 560.00	रु. 365086/- तीन लाख पैंसठ हजार छियासी मात्र	18-03-2025	25/10/2025
श्री अरिप खा श्री आसिफ खा श्रीमती खैरुनिशा बी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10760497)	पटवार हल्का क्रमांक 31, मकान क्रमांक 288, वार्ड क्रमांक 16, खसरा क्रमांक 1240, ग्राम संवरसी, ग्राम पंचायत संवरसी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455115, भारत में स्थित। प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल: 1200.00, 1000.00	रू. 582815/- पाँच लाख बयासी हजार आठ सौ पंद्रह मात्र	27-06-2025	25/10/2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 31.10.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

जांच

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

निवेश घोटाले की जांच की मांग

भोपाल, 30 अक्टूबर. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उद्योग-रोजगार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर हर महीने कर्ज लेने की संस्कृति और करप्शन को सरकारी मिशन बना लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर जनता को जो बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे, वे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं.

पटवारी ने अपने पत्र में लिखा कि सरकार ने एक वर्ष में 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया, लेकिन सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इनमें से मात्र 6.20 लाख करोड़ की योजनाओं पर ही आंशिक

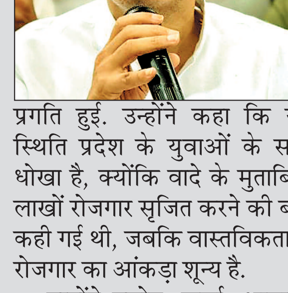

प्रगति हुई. उन्होंने कहा कि यह स्थिति प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि वादे के मुताबिक लाखों रोजगार सृजित करने की बात कही गई थी, जबकि वास्तविकता में रोजगार का आंकड़ा शून्य है.

उन्होंने उद्योग, ऊर्जा, आवास, एमएसएमई, कौशल विकास, स्वास्थ्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख विभागों में निवेश की प्रगति को केवल आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया. पटवारी ने कहा कि उद्योग विभाग में 12.70 लाख करोड़ के प्रस्ताव में से मात्र 2.48 लाख करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़ में से केवल 1.78 लाख करोड़, और पीडब्ल्यूडी में 1.30 लाख करोड़ में से सिर्फ 8,314 करोड़ के प्रोजेक्ट ही आगे बढ़ पाए. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोहन सरकार ने निवेश-नौटंकी के नाम पर जनता को गुमराह किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि प्रदेश की आर्थिक सच्चाई सामने लाने के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जिसमें चार पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह को शामिल किया जाए. इस टीम को मुख्यमंत्री मोहन यादव का सहयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि फर्जी निवेश और बेरोजगारी के आंकड़ों की सच्चाई उजागर हो सके.

आत्महत्या पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

श्योपुर . मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में एक किसान की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सिरसोद निवासी किसान कैलाश मीणा का संदर्भ देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि अन्नदाताओं की सरकारी हत्या कब तक जारी रहेगी. उन्होंने मांग की कि कर्ज में डूबे किसानों को तत्काल प्रति बीघा 20 हजार रुपए की सरकारी सहायता दी जाए, ताकि, किसान आत्महत्याएं रोकी जा सके. वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी आरोप लगाया कि प्रदेशभर में अतिवृष्टि से तबाह फसलों का दर्द अब किसानों की जान ले रहा है.

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **दूरभाषः** 022- 6849 2450, **फैक्सः** 022- 6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ईमेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकताओं/गारंटरों/बंधककताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 24-11-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	LAN: LXKHA00117-180062360 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः सफी नन्नू खान सह-उधारकर्ताः नसीम बी खान	29-07-2019 रु. 996102/- (नौ लाख छियानवे हजार एक सौ दो मात्र)	पीएच नं. 04, ग्राम दवाना, ठीकरी, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451660	आरक्षित मूल्यः रु.800000/- (आठ लाख मात्र) ईएमडी जमाः रु.80000/- (अस्सी हजार मात्र) ईएमडी जमा की अंतिम तिथिः 23-11-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तेंः 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9329414448 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्कः +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 31.10.2025
अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड